UPRB010038202026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, रायबरेली।
उपस्थितः– गुणेन्द्र प्रकाश (एच०जे०एस०)
<u>प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1618/2026</u>

आर्यन पाल पुत्र राजाराम, निवासी पूरे शिवरतन मजरे ऐहार, थाना लालगंज, जिला रायबरेली।

---- प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

---- अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–107/2026
अन्तर्गत धारा– 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण अधिनियम) 1986,
<u>थाना हरचन्दपुर, जनपद रायबरेली।</u>

<u>दिनांक–22.06.2026</u>

यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त आर्यन पाल की ओर से मु०अ०सं०– 107/2026, अन्तर्गत धारा– 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना हरचन्दपुर, जिला रायबरेली के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि मुझे पूर्व से मिली जानकारी के अनुसार महेश कुमार पुत्र रामखेलावन निवासी देवगाँव थाना लालगंज जनपद रायबरेली उम्र 35 वर्ष एक शातिर किस्म का सक्रिय अपराधी है जिसका एक सक्रिय व संगठित आपराधिक गिरोह है, महेश कुमार इस गैंग का लीडर है इसके गिरोह के सक्रिय सदस्य आर्यन पाल पुत्र राजाराम निवासी ग्राम पूरे शिवरतन मजरे ऐहार थाना लालगंज जनपद रायबरेली उम्र 22 वर्ष है जो अपने गैंग के सदस्य के आर्थिक एवं भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु छिनैती/लूट जैसी घटनाओं को अन्जाम दिया है। उक्त गिरोह द्वारा किये गये अपराध उत्तर प्रदेश गिरोह एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 2 (ख) की उपधारा (1) से आच्छादित है। जो उत्तर

प्रदेश गिरोहबंद एवं क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध है। इनका समाज में स्वछन्द विचरण करना जनमानस के लिए जनहित में उचित नहीं है । इनके भय एवं आतंक से जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध कोई अपराध पंजीकृत कराने का साहस नहीं करता है और जो अपराध पंजीकृत है उसमें गवाही देने का साहस भी नहीं करता है। उपरोक्त गैंग, क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है जिससे जनमानस में इनका भय व आतंक व्याप्त है। अभिलेखों के अवलोकन करने पर पाया गया कि इस गैंग लीडर व गैंग के सदस्य के विरुद्ध मु०अ०सं० 0053/2026 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना हरचन्दपुर रायबरेली व मु०अ०सं० 0064/2026 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना सलोन रायबरेली पर पंजीकृत हैं। उक्त अभियोगों में विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये जा चुके हैं जो विचाराधीन न्यायालय हैं। इनका यह कृत्य धारा 2/3 उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि 1986 की परिधि में आता है। इनकी अपराधिक एवं समाज विरोधी गतिविधियो पर प्रभावी नियंत्रण हेतु गैंग चार्ट बनाकर भेजा गया। जिसे श्रीमान जिलाधिकारी महोदया रायबरेली द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित गैंग चार्ट के आधार पर अभियुक्तगण 1. महेश कुमार पुत्र रामखेलावन निवासी देवगाँव थाना लालगंज जनपद रायबरेली उम्र 35 वर्ष (गैंग लीडर) 2. आर्यन पाल पुत्र राजाराम निवासी ग्राम पूरे शिवरतन मजरे ऐहार थाना लालगंज जनपद रायबरेली उम्र 22 वर्ष (सदस्य) के विरुद्ध उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2/3 का अभियोग पंजीकृत करें।

अभियुक्त आर्यन पाल द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश सुशीला अग्रवाल आदि प्रति राज्य (एन.सी.टी.) दिल्ली इत्यदि एस.एल.पी. क्रि०– 7281–2782/2017 दिनांकित 29.01.20 मे पारित आदेश के परिपेक्ष्य मे प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी/अभि० को उपरोक्त मामले में रंजिशन मिथ्या, मनगढंत झूठे कथनों के आधार पर अभि० बनाया गया है। प्रार्थी/अभि० पूर्णतया निर्दोष व्यक्ति है। गैग चार्ट में दर्शित मु०अ०सं०– 53/26 अं० धारा– 304(2),317 (2) बी०एन०एस० थाना हरचन्दपुर जिला रायबरेली के मामले में पुलिस द्वारा सह अभि० के फर्जी बयानों के आधार पर बरामदगी दिखाते हुए चालान किया गया है उक्त मामले में अभि० जमानत पर है। गैग चार्ट मे दर्शित मु०अ०सं०–64/26 अं० धारा 304(2),317 (2) बी०एन०एस० थाना सलोन जिला रायबरेली का मामला पूर्णतया गलत एवं निराधार है उक्त मामले मे प्रार्थी/अभि० नामजद अभियुक्त नहीं है अभि० को महज गुडवर्क दिखाने के उददेश्य से नामित किया गया है उक्त मामले मे अभि० जमानत पर है। प्रार्थी/अभि० न तो किसी गैग के सक्रिय सदस्य है और न ही किसी गैंग के सरगना है। प्रार्थी/अभि० द्वारा किसी प्रकार की कोई भी चल अचल सम्पत्ति आदि अनैतिक कृत्य करके अर्जित नहीं की गयी है। प्रार्थी/अभि० के विरूद्ध विवेचक

द्वारा अं० धारा 14 (1) उ०प्र० गैगेस्टर एक्ट की कोई कार्यवाही नहीं की है क्योंकि प्रार्थी/अभि० ने अपराध कारित करके कोई अनैतिक सम्पत्ति अर्जित नहीं की है। प्रार्थी/अभि० का समाज में किसी प्रकार का कोई भय आदि व्याप्त नहीं है प्रार्थी/अभि० एक सीधा साधा मजदूरी पेशा व्यक्ति है जो कि मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करता है। प्रार्थी/अभि० उ०प्र० गिरोह एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि० की धारा 2 (ख) की उपधारा (1) के अतंर्गत किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं करता है। प्रार्थी/अभि० न तो किसी अपराधिक गतिविधियों मे सलिंप्त था और नहीं भविष्य मे अपराधिक गतिविधियो मे संलिप्त रहेगा। प्रार्थी/अभि० एक सामाजिक व्यक्ति है तथा समाज मे प्रार्थी/अभि० का कोई भय आदि कभी भी व्याप्त नहीं रहा है। प्रथम दृष्टया अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से प्रार्थी/अभि० पर उपरोक्त प्रकृति का अपराध नहीं सृजित होता है। अभियोजन पक्ष के पास प्रार्थी/अभि० के विरूद्ध घटना में शामिल होने के संबंध मे कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी/अभि० को पुलिस द्वारा हैरान व परेशान किये जाने के कारण मुकदमे पंजीकृत किये गये हैं प्रार्थी/अभि० किसी मामले में सजायाप्ता नहीं है। अग्रिम जमानत का प्रावधान अनुच्छेद 21 भारत के संविधान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है जिसका उददेश्य अभियुक्त के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना है ताकि उसे केवल एफ०आई०आर० मे लगाये गये आरोपों के आधार पर बिना पर्याप्त साक्ष्य के गिरफ्तार न किया जाये। माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने विधि व्यवस्था में सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि दण्ड विधियों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए जिसमे अभियुक्त के अधिकार सुरक्षित रहे और प्राविधान का उददेश्य (Life and Liberty) की रक्षा पूरा हो। प्रार्थी/अभियुक्त को अशंका है कि थाना पुलिस हरचन्दपुर उसे उपरोक्त अपराध में गिरफ्तार कर सकती है और प्रताड़ित कर सकती है। प्रार्थी/अभियुक्त को यदि अग्रिम जमानत पर स्वंत्रत किया जाता है तो वह अभियोजन पर अनुचित दबाव नहीं डालेगा और न ही साक्ष्यों को डरायेगा न धमकायेगा। प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मामले में विवेचक द्वारा जब भी पूछतांछ अथवा अन्य किसी कार्यवाही के लिए बुलाया जायेगा तब स्वेच्छा से स्वयं विवेचक के पास उपस्थित रहेगा एवं विवेचना मे पूर्ण सहयोग करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति के भारत देश व गृह जनपद नहीं छोड़ेगा। प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा किसी अन्य जनपद न्यायालय एवं मान० उच्च न्यायालय में अथवा भारत वर्ष के किसी भी न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है न ही विचाराधीन है न स्वीकृत किया गया है न ही निरस्त किया गया है। वाद उपरोक्त में प्रार्थी/अभियुक्त अपनी अग्रिम जमानते देने को तैयार है उसका वह दुरूपयोग नहीं करेगा एवं मान० न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करेगा। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी/अभि० को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाय।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा केस डायरी एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उभय पक्ष के तर्कों के प्रकाश में केस डायरी का अवलोकन किया गया। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त गैंग का सक्रिय सदस्य है। प्रार्थी/अभियुक्त गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर लूट/छिनैती जैसे जघन्य अपराध करके स्वयं तथा गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ अर्जित करने में संलिप्त रहा है एवं लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप करने में भी संलिप्त रहा है। प्रार्थी द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का सामाजिक अपराध हैं। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर इस स्तर पर यह उपधारणा करना सम्भव नहीं है कि अभियुक्त निर्दोष है और इस बारे में भी उपधारणा करना सम्भव नहीं है कि वह जमानत पर छोडे जाने पर अपराध नहीं करेगा। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा उपरोक्त वर्णित विवेचना के क्रम में अपराध की गम्भीरता, उसे कारित किये जाने की प्रकृति, अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता आदि को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का संतोषजनक आधार नहीं है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **आर्यन पाल पुत्र राजाराम** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–107/2026, धारा– 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना हरचन्दपुर, जिला रायबरेली के मामले में प्रस्तुत **प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र** आधार पर्याप्त न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

(गुणेन्द्र प्रकाश)
अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, रायबरेली।
(JO CODE–UP6443)

Digitally signed by Gunandra Prakash
Date: 2026.07.01 11:22:25 IST
Reason: Bail Order
Location: District and Sessions Court, Raebareli